रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022021-224934 CG-DL-E-04022021-224934

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477] No. 477] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2021/माघ 15, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2021/MAGHA 15, 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

का.आ. 527(अ).—केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अवंतीपुरा, पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर, के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निम्नलिखित (व्यक्तियों) को एतद्वारा नामित करती है:

I. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य:

निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , जम्मू - शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

II. धारा 4 के खंड (ड़) के तहत सदस्य:

प्रो. के.एस. रंगप्पा, पूर्व महा अध्यक्ष, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन

सदस्यगण का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28016/145/2020-पीएमएसएसवाई-IV]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

715 GI/2021 (1)

#### MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2021

**S.O. 527(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following as members of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Awantipora**, **Pulwama**, **Jammu and Kashmir**, namely:-

### I. Member under clause (d) of Section 4:

Director, IIT Jammu- Representative of Ministry of Education

#### II. Member under clause (e) of Section 4 :

Prof. K.S. Rangappa, Past General President, Indian Science Congress Association

The term of Office of members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F.No. Z-28016/145/2020-PMSSY-IV]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Advisor